

F 22-9/16/36

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू
विरुद्ध माओशासन एवं अन्य ।

पंजी क्रमांक 682/16/36 दिनांक 26.02.2016
उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका

उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका का
अवलोकन करें ।

श्री बद्री प्रसाद साहू द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी
19542/15 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई है, जिसमें
जवाबदावा दिनांक 10.03.2016 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।
जिसकी प्रति माओ उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस विभाग को
प्रेषित की गई है ।

अतः यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति
करने से संबंधित जानकारी नरती पर उपलब्ध कराने हेतु नरती
संचालक मत्स्योद्योग को अंकित की जाना प्रस्तावित है ।

अ0340

VS

उप सचिव

P.S.

से.मा.

मि
26/02/16

क.स
26/2/16

मि
26-2/16

मि
27/2

से.मा. का विभाग

P-1/2

60/120/2016/36
24/02/16

350
24/16

27/2

J.D (Ad)
Court case
24/02/16
1.3.14

8-7-2016

मि
1.3.14

आवक क्र. 1675
दिनांक 7 MAR 2016

F 22-9/16/36

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बट्टी प्रसाद साहू
विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य ।

महोदय का विभाग

पूर्व पृष्ठ से -

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में
श्री बट्टी प्रसाद साहू विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य के
प्रकरण में दायर याचिका क्रमांक 19542/2015 में शासन
पक्ष प्रतिरक्षण हेतु संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर
को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

[Signature]
4-3-16
संचालक मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, मछुआ कल्याण
तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

[Signature]
DS(F)

[Signature]
4-5

[Signature]
SOCA

रज्जा

संचालक मत्स्योद्योग की उक्त टोप के परिशिष्ट
प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

[Signature]
4-5

[Signature]
4-5

[Signature]
4-5

[Signature]
SOCA

रज्जा

[Signature]
8/3

[Signature]
8-3-16

[Signature]
8/3

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

[Signature]
8/3/16

F 22-9/16/36

3

छन्वीस-२ सचिवालय

विषय :-

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

अंशुभा
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रारूप अनुमोदन अनुसार स्वच्छ प्रतियां
हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है ।

अ0अ0

US

SOCP

580-81/16/36
11-3-16

11/3/16

11/3/16

11/3/16

उक्त न्यायालयीन प्रकरण में संयुक्त संचालक
मत्स्योद्योग जबलपुर को प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश दिनांक
11.03.2016 को जारी किया जा चुका है । प्रतिरक्षण आदेश जारी
किये जाने हेतु कृपया नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

P-48/c

अ0अ0

US

US

विधि विभाग

11/3/16

11/3/16

11-3-16

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रतिनस्ती
पट रखी है ।

(अमिताभ मिश्र)
अति-सचिव
विधि विभाग

महोदय कृपया तथा महोदय
विकास विभाग ।

U.N. 165/2016/36
14/03/16

7723
C.R

महोदय

○

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :—

विषय: याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

✓

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 14020/2016

WP/19542/2015

पंजी क्रमांक 682/2016/36
दिनांक 26/02/16
महोदय कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of
Judicature
at Jabalpur

merit and ir

Fixed for 10-03-2016

WP-DA-11

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Secretary Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 27-01-2016

dwj
26/2/16

so CF)

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 19542/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Badri Prasad Sahu** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19542/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **10-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Encl:- Copy of
order 21-1-16.

Your faithfully


DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मन्त्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11-3-16

कमांक एफ 22 09/2016/छत्तीस : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सल्टाईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को याचिका कमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बदी प्रसाद साहू विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनमें बहरे नीचे लिख गये हैं निम्नलिखित कार्य करेंगे।

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उजाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उजाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा : -
 - (अ) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- (7) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) इससे रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगले कार्यवाही फाइल जाने के लिए इस विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नाष्ट नहीं हो।

//2//

- 11) जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेंगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाए।
- 13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है, तो वह, जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है पारिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह, इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश के प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- 15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे और उनका यह कर्तव्य रहेंगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील/रिवीजन पेश करने की अनुमति मिल जायें और विहित अवधि में अपील/रिवीजन पेश हो जायें।
(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

cbw 11/3/16
(कलिस्ता कुजूर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 11-3-16

पृ0कमांक एफ 22-09/2016/छत्तीस
प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 2- संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0,
- 4- कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 5- संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामलों की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सददैव ही भेजनी चाहिए, वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

cbw 11/3/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास